संख्या– 679 /58–2017–100(1)/2016

प्रेषक,

प्रदीप भटनागर,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2017

विषयः–बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में उत्पादित आलू के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा वर्ष 2016–17 में उत्पादित आलू के क्रय हेतु प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या एल–15016/17/2017–एम0पी0एस दिनांक 07.04.2017 द्वारा लागू किये जाने और उक्त योजना के अधीन 01 लाख मिट्रिक टन आलू रू0 4870/– प्रति मिट्रिक टन एवं ओवर हेड व्यय रू0 1217.50 प्रति मिट्रिक टन (या वास्तविक व्यय जो भी कम हो) निर्धारित किया गया है। ओवर हेड व्यय में परिवहन चार्जेज, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेज, गनीबैग, पैकिंग मैटेरियल, सिलाई चार्जेज, देय कमीशन, मण्डी टैक्स, पर्चेज टैक्स तथा गोडाउन चार्जेज आदि सम्मिलित होगें।

इस योजना का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

(1) योजनान्तर्गत 01 लाख मिट्रिक टन आलू का क्रय उत्तर प्रदेश सरकार की संस्थाओं – यू.पी.एग्रो, पी.सी.एफ.,हाफेड एवं उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि. द्वारा किया जायेगा।

(2) उक्त योजनान्तर्गत राज्य सरकार की प्रत्येक क्रय संस्था आवश्यक धनराशि की व्यवस्था स्वयं करेगी।

(3) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा जिलाधिकारी के परामर्श से क्रय केन्द्र खोले जायेंगे। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एव क्रय संस्था स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्रों की संख्या एवं उनके लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे।

(4) आलू का क्रय इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 07 मई, 2017 की अवधि तक किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित मानक के अनुसार फेयर एवरेज क्वॉलिटी (एफ.ए.क्यू.किस्म) का आलू क्रय किया जायेगा।

(6) इस योजना के अन्तर्गत आलू के क्रय पर यदि कोई हानि होती है तो उसे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया

2/–

जायेगा, जिसमें अनुमन्य ओवर हेड चार्जेज भी सम्मिलित हैं किन्तु हानि क्रय लागत के 25 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुमन्य होगी। (अधिकतम सीमा तक होने वाली हानि को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।)

(7) क्रय करने वाली एजेन्सियों द्वारा क्रय किये गये आलू की मात्रा का निस्तारण अधिकतम अर्जित होने वाली दरों पर किया जायेगा ताकि राजकीय कोष में किसी प्रकार की क्षति न होने पाये। इस योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये आलू के निस्तारण हेतु पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित संस्था द्वारा क्रय किये गये आलू की मात्रा का निस्तारण यथासम्भव लाभकारी मूल्य पर किया जाय।

(8) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा जिलाधिकारी के परामर्श से क्रय केन्द्र खोले जायेगें। सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं क्रय संस्था स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्रों की संख्या एवं लक्ष्यों का निर्धारण करेगें।

(9) क्रय एजेन्सियों द्वारा सहकारी समितियां, कृषक संगठनों और किसानों से सीधे आलू क्रय किया जायेगा, ताकि बिचौलियों द्वारा योजना का दुरूपयोग न किया जा सके। क्रय एजेन्सियों द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि केवल वास्तविक उत्पादक कृषकों से ही आलू का क्रय किया जाये। क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय किये जाने वाले आलू से सम्बन्धित सभी अभिलेखों का विधिवत अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय किया गया आलू खुले बाजार में अधिकतम मूल्य पर विपणित किया जायेगा, यदि आवश्यक हो तो क्रय किया गया आलू प्रदेश की प्रसंस्करण इकाईयों को भी विपणित किया जायेगा। क्रय एजेन्सियों को आलू के प्रसंस्करण के उपरान्त निर्यात के लिये भी प्रभावी प्रयास करने होगें।

(11) क्रय करने वाली एजेन्सियों द्वारा आलू के क्रय से सम्बन्धित सम्प्रेक्षण लेखा राज्य सरकार के माध्यम से तीन माह के भीतर बाजार हस्तक्षेप योजना के क्रियान्वयन की पूर्णता के उपरान्त भारत सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

(12) क्रय एजेन्सियों द्वारा लाभार्थी कृषकों की सूची तथा क्रय केन्द्रवार विवरणी सम्प्रेक्षण लेखा के साथ प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

(13) क्रय एजेन्सियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे क्रय के उपरान्त उसी बाजार एवं राज्य में क्रय किये गये आलू का विपणन न करें, किन्तु स्थानीय बाजार में भी क्रय किये गये आलू का अच्छा मूल्य प्राप्त होने पर बिक्री की जा सकेगी।

(14) क्रय एजेन्सियों द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रगति रिपोर्ट उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0 प्र0 को उपलब्ध करानी होगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संकलित प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

(15) क्रय एजेन्सियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत क्रिया–शील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की व्यवस्था स्वयं करनी होंगी।

(16) क्रय एजेन्सियों को आलू के क्रय, विक्रय, परिवहन, गनीबैग का क्रय, मजदूरी आदि पर होने वाले व्यय आदि का विधिवत अभिलेखीकरण करना होगा। कृषकों से क्रय किये गये आलू की धनराशि का भुगतान कृषकों के बैंक खाते में किया जायेगा, यदि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान हो तो उपयुक्त होगा।

(17) क्रय एजेन्सियों के द्वारा अलग से एक डेडिकेटेड बैंक एकाउन्ट खोला जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. क्रय एजेन्सियों द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना अन्तर्गत आलू क्रय केन्द्रों का संचालन संलग्न परिशिष्ट–1 में आवंटित मण्डलों में किया जायेगा।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित एजेन्सियों के क्रय केन्द्र तत्काल स्थापित हों तथा क्रय केन्द्रों पर एजेन्सी विशेष के नाम सहित बैनर भी लगा दिया जाय और कृषकों के मध्य सामाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया जाय, जिससे कृषकों को इसकी समुचित जानकारी हो सके और वे योजना का लाभ उठा सकें।

4. इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा सहकारी समितियों, कृषक संगठनों अथवा सीधे किसानों से आलू क्रय किया जाना है, अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना का पूरा लाभ वास्तविक कृषक प्राप्त कर सकें और किसी भी प्रकार से बिचौलिये योजना का दुरूपयोग न कर पायें।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में जनपदीय उद्यान अधिकारी तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर लगायेंगे, जिससे आलू उत्पादक किसानों के सम्मुख होने वाली कठिनाईयों का निराकरण तत्काल हो सके।

6. जिलाधिकारी अपने स्तर से जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित कर इन क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. जिलाधिकारी प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा फैक्स द्वारा प्रगति की सूचना शासन के सूचनार्थ निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित क्रय एजेन्सीज़ भी क्रय की मात्रा की केन्द्रवार दैनिक प्रगति शासन के सूचनार्थ निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 को नियमित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

8. कृपया उपरोक्तानुसार बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू क्रय केन्द्र खोलने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं, सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रदीप भटनागर)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या. 679 (1)/58—2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक को—आपरेटिव फेडरेशन (PCF), लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. एग्रो लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि. बालाकदर रोड, लखनऊ।
11. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ।
12. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस पत्र की एक प्रति अपने अधीनस्थों को अपने स्तर से प्रेषित करते हुए इस योजना का प्रभावी अनुश्रवण भी कराने का कष्ट करें।
13. समस्त सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, उद्यान/सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस योजना के क्रियान्वयन में क्रय एजेन्सियों को पूर्ण सहयोग करेंगे, आवश्यकतानुसार अच्छी ख्याति के निजी शीतगृहोंमें क्रय किये गये आलू को भण्डारित कराने में सहयोग करेगें तथा योजना की दैनिक प्रगति से निदेशालय को अवगत करायेंगे।
14. निदेशक, मण्डी परिषद उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त योजना में यथोचित सहयोग हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों /मण्डी सचिवों को निर्देशित कर दें।
15. निदेशक, (एम.पी.एस.) कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग (सहकारिता अनुभाग) कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0 एल—15016/17/2017—एम.पी.एस. दिनांक 07.04.2017 के संदर्भ में।
16. गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव

(14) सेट

कार्यालय–उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ।

पत्रांक [redacted] 73-76 /उप्रसस/व्यवसाय/2017–18 दिनांक 10/04/2017

प्रतिलिपि– उपर्युक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर सम्बन्धित क्षेत्रीय/शाखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ कि शासनादेश में उल्लिखित बिन्दुओं का भलिभॉति अध्ययन करते हुए बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में उत्पादित आलू के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें–

1 क्षेत्रीय प्रबन्धक/डिपो प्रबन्धक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली एवं फैजाबाद।
2 समस्त अधिकारी, संघ मुख्यालय, लखनऊ।
3 उप महाप्रबन्धक(वित्त/लेखा), संघ मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4 मा0 अध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।

संलग्नक–यथोपरि।

(ए0के0गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक(व्यव0)

<u>परिशिष्ट–1</u>

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत 04 संस्थाओं द्वारा आलू क्रय किये जाने का विवरण :–

क0 सं0	संस्था का नाम	आलू की मात्रा (मिट्रिक टन)	मण्डल का नाम
1	यू.पी. एग्रो	25,000	सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा।
2	पी.सी.एफ.	25,000	वाराणसी, मीरजापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, झांसी, चित्रकूट।
3	हाफेड	25,000	लखनऊ, देवीपाटन, इलाहाबाद, बस्ती,
4	उत्तर प्रदेश, उपभोक्ता सहकारी संघ लि.	25,000	कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद।

08.04.17